संख्या-52/2015/1964/सैंतीस-2-2015-1(25)/10

प्रेषक,

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-05 अगस्त, 2015

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आर.आई.डी.एफ.-19 के अन्तर्गत 15 पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-288/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-19/2013-14, दिनांक-30.06.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-39/2015/1261/सैंतीस-2-2015-1(25)/10, दिनांक-25.06.2015 द्वारा आर.आई.डी.एफ.-19 के अन्तर्गत 39 भवनविहीन/जर्जर पशुचिकित्सालयों के निर्माण के लिये प्रदत्त अनुमोदन के सापेक्ष 15 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0-498.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दि0-25.06.2015 में क्रमांक-10 पर अंकित पशुचिकित्सालय बीकापुर, जनपद फैजाबाद के स्थान पर पशुचिकित्सालय गौंडा, जनपद अलीगढ़ पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक-25.06.2015 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(**चन्द्रकान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-52/2015/1964(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3।
7- श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in